

बिहार BIHAR 8039 25917 5000 1971 762835

Serial No. 10631 Deed No. 9561

Govt. of Bihar
District Registry Office, Patna
Summary of Endorsement

This document was presented for registration on 06/10/2017 by Raja Jee
A Stamp Duty of Rs. 514200/- and other Fees of Rs. 21500/- has been paid in it.
The document was found admissible. The Names, Photographs, Fingerprints and Signatures of the
Executants and their Identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.
The document has been registered as Deed No. 9561 in Book No. 1, Volume No. 219 on pages from 235
to 249 and has been preserved in total 15 pages in C.D. No. 34 / Year 2017

Signature with Date
(Satya Narayan Choudhary)
Registering Officer, Patna

Date: 06/10/2017 Token No: 11115./2017

SCANNED BY

विकास कार्य (एकरनामा)

यह एकरनामा जमीन के विकास एवं बहुमंजली भवन निर्माण संबंधी है जो आज दिनांक .../10/2017 को निम्नलिखित पक्षकारों के बीच करार किया गया है।

Sai Kalash Homes Pvt. Ltd.

Arunod Kumar
Director



Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including the name 'Arunod Kumar' and 'Director'.

1. लेख्यकारीगण का नाम एवं पूरा पता :-

1. श्री राजा जी पिता स्व० ठाकुर दयाल

2. श्रीमती रेमा दयाल धर्मपत्नी स्व० राजन दयाल

दोनों निवासी महल्ला - न्यू एरिया जक्कनपुर, थाना - कोतवाली, हाल थाना - जक्कनपुर, जिला - पटना, जमीन मालिक, भारतीय नागरिक जिसमें इनके उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधित्व, इत्यादि सम्मिलित है, जिसे आगे प्रथम पक्ष भू-स्वामी कहा गया है। (प्रथम पक्ष)

लेख्यकारी नं०-1 का PAN-ACAPJ9143M

लेख्यकारी नं०-2 का PAN-BCGPD2501J

Mobile No.- 7073441122

2. लेख्यघारी का नाम एवं पूरा पता :-

साई कलश होम्स प्रा० लि० (Sai Kalash Homes Private Limited) जिसका कार्यालय फ्लैट नं०-14, एन.पी.सेन्टर, न्यू डाकबंगला रोड, पटना-800001, जो कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत संचालित है जिसका निबंधन सं०-U45400BR2015PTC025207 है जिसका निदेशक श्री अरविन्द कुमार पिता स्व० जी०बी०शर्मा, निवासी महल्ला -44, हनुमान नगर पुनाईचक, पटना-800023, जिला - पटना वो कार्यकारी निदेशक श्री नवीन कुमार पिता श्री महेन्द्र प्रसाद, निवासी महल्ला - रागिनी पैलसे रोड नं०-1ए/51, शिवपुरी, थाना - शास्त्रीनगर, जिला - पटना, विकासकर्ता/डेभलपर्स। (इनमें इनके उत्तराधिकार कानूनी प्रतिनिधित्व, इत्यादि सम्मिलित हैं) जिसे आगे द्वितीय पक्ष को (विकास कर्ता) डेभलपर्स कहा गया है। (द्वितीय पक्ष)

PAN-AAWCS4186Q

Mobile No.- 9431491911

3. लेख्य प्रकार :-

विकास कार्य एकरारनामा (डिवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट)

4. मूल्यांकन :-

मो० 2,57,05,000/- (दो करोड़ संतावन लाख पाँच हजार रुपये) मात्र।



रेमा दयाल
6/10/17
श्री रेमा दयाल विकास कार्य एकरारनामा
विराज श्री सही है। काराज रुप पंकर
समस्त विषया।



Sai Kalash Homes Pvt. Ltd.

Arvind Kumar

Director

6/10/17

5. विवरण विकास कार्य सम्पत्ति:-

हमगी वो तमामी मवाजी 7 कट्ठा (सात कट्ठा) यानि 21.875 डिसमिल, एराजी आवासीय परती भूमि जो मौजा - जगजीवनपुर उर्फ जक्कनपुर, थाना - कोतवाली, हाल थाना - जक्कनपुर, सब वो सदर रजिस्ट्री ऑफिस वो जिला - पटना, जिसका थाना नं० - 29 (उन्तीस), तौजी नं० - 133 (एक सौ तेतीस), खाता नं० - 20 (बीस), सर्वे प्लॉट नं० - 30 (तीस) का अंश, वार्ड नं० - 10 (दस), थाना कोड - 155, वजमीन्दारी बिहार सरकार द्वारा सर्किल ऑफिसर पटना सदर जिसका लगान सलाना मो० 2 रुपया 10 पैसा अलावे शेष है वो पटना नगर निगम क्षेत्र के अंदर है। अन्य विवरण वो दिशान्त निम्न है:-

चौहद्दी


उत्तर :- 8 (आठ) फीट चौड़ा रास्ता
 दक्षिण :- बाबु विशेश्वर दयाल
 पूरब :- बालचन्द महतो वो अखनु महतो
 पश्चिम :- मुख्य सड़क

मजामीन

यह कि जायदाद अंकित आना सं०-5 वसीका हाजा वजरीये वसीका केवाला वैय मुतसदके रजिस्ट्री मरकुमा तारीख 13.11.1953 ई०, नवीस्ते बाबु ईश्वर दयाल पिता स्व० मुंशी शिव चरण लाल, निवासी ग्राम - उतरनावा, थाना - बिहार, जिला - पटना वो बादहू निवासी महल्ला - चिरैयाटॉइ खास महाल, थाना - कोतवाली, जिला - पटना से बाबु अकुर दयाल वल्द स्व० मुंशी शिव चरण लाल, साकिन - उतरनावा, थाना - बिहार, जिला - पटना वो बादहू निवासी - साहेबगंज, थाना - साहेबगंज, जिला - संथाल परगना ने मवाजी 3 (तीन) कट्ठा एराजी खरीद किया है जिसका बुक नं०-1, जिल्द नं० - 65, पेज नं० - 162 से 165 तक, वसीका नं०-6941, सन् 1953 ई०, रजिस्ट्री ऑफिस पटना है वो दूसरा वसीका मरकुमा

Rama Dayal
6/10/17

6/10/17



Sai Kalash Homes Pvt. Ltd.
 Anmol Kumar
 Director

तारीख 29.07.1940 ई०, नवींस्ते मिरखुन महतो पिता स्व० शिव महतो, निवासी ग्राम - जक्कनपुर, थाना - फुलवारी, जिला - पटना से बाबु ठकुर दयाल पिता स्व० बाबु शिवचरन लाल, निवासी ग्राम - उतरनामा, थाना - बिहार, जिला - पटना वो हाल मोकाम - गर्दनीबाग, थाना - कोतवाली, जिला - पटना ने खरीद किया है जिसका बुक नं०-1, जिल्द नं०-68, पेज नं०-250 से 253 तक, वसीका नं०-4584, सन् 1940 ई०, रजिस्ट्री ऑफिस पटना है। जिसमें गलती से प्लॉट नं०-34 दर्ज हो गया जो बिल्कुल गलत है जिसका मरकुमा तारीख 26.8.1955 ई० को बनाम वो वहक एक किता वसीका तितिनामा तहरीर किये है जिसका बुक नं०-1, जिल्द नं०-65, पेज नं०-130 से 131 तक, वसीका नं०-5537, सन् 1955 ई०, रजिस्ट्री ऑफिस पटना है वो तारीख खरीदारी से बाबु ठकुर दयाल काबिज दखिल मालिक मुस्तकिल रहते चले आये। बाद अजां बाबु ठकुर दयाल वगुजास्त अपने दो पुत्र राजा जी (लेख्यकारी नं०-1) वो राजन दयाल को छोड़कर स्वर्गवास कर गये। बाद अजां राजन दयाल वगुजास्त अपने धर्मपत्नी रेमा दयाल (लेख्यकारी नं०-2) को छोड़कर स्वर्गवास कर गये वो तमामी सम्पति पर लेख्यकारीगण राजा जी वो रेमा दयाल बिना सिरकत किसी दूसरे के भू-स्वामी के हैसियत से काबिज दखिल मालिक मुस्तकिल रहते चले आते है वो है। वो नाम लेख्यकारीगण का वसिरिस्ते जमीन्दारी बिहार सरकार जमाबंदी नं०-8 पर दर्ज है वो हर प्रकार के स्वत्व दोष ऋणभार से मुक्त है। इस प्रकार लेख्य सम्पति का अन्तरण वो किसी प्रकार का एकरारनामा इत्यादि करने के लिए सक्षम है।

यह कि उक्त विकास सम्पति लेख्यकारीगण का खरीदारी सम्पति है जिसे लेख्यकारीगण (जमीन मालिक) ने लेख्यधारी भवन निर्माण कर्ता भू-विकासक को सशर्त भूमि का विकास करने एवं देने पर सहमति हुये और लेख्यधारी द्वितीय पक्ष भवन निर्माता एवं भू-विकासक भी उसपर विकास करने को वो बहुमंजिला भवन निर्माण



Sai Kalash Homes Pvt. Ltd.
Arvind Kumar
Director


Rema Dayal
6/10/17

6/10/17

करने पर सशर्त राजी हुये और दोनों पक्षों की सहमति हुई कि एक विलेख एकरारनामा सभी तथ सुदे शर्तों को ध्यान में करते हुए निष्पादित किया जाय।

अतएव निम्नांकित शर्तों के साथ इस एकरारनामा का निष्पादन करना आवश्यक हुआ। इस एकरारनामा का शर्त निम्नांकित है जो दोनों पक्षों के हक एवं इस एकरारनामों को किसी भी एक पक्ष के द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकता। एकरारनामा के शर्त जमीन मालिक प्रथम पक्ष के द्वारा लेख्यधारी द्वितीय पक्ष भू-विकासक को लेख्य के खाना नं०-5 में वर्णित भू-खण्डों को विकास करने वो बहुमंजिला भवन बनाने हेतु अधिकार दिया गया है और निम्नलिखित शर्त के अनुसार पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित) पटना नगर निगम के द्वारा अनुमोदित नक्शे पास करायेगें उसके संशोधन एवं प्राक्कलन या उसके संशोधन के प्रावृष्ट के अनुसार पूर्ण रूप से या संशोधन वे अपने खर्च कर भवन का निर्माण करेगें और स्वत्वधारी लेख्यकारीगण प्रथम पक्ष पर उस निर्माण कार्य से अन्त तक एक पैसा भी वैय करने की पाबंदी नहीं होगी।

यह कि उक्त जमीन मालिकगण वो भू-विकासक के बीच उक्त जमीन जिसपर बहुमंजिली इमारत द्वितीय पक्ष द्वारा निर्माण किया जायेगा का हिस्सेदारी 45 प्रतिशत जो जमीन मालिक के हिस्से का होगा और 55 प्रतिशत विकासकर्ता द्वितीय पक्ष के हिस्से का होगा जो अपने-अपने हिस्से की फ्लैट के बिक्री अपने-अपने स्तर से करेगें इसमें एक दूसरे की सहमति की कोई आवश्यकता नहीं होगी तथा पार्किंग में दोनों 45-55 प्रतिशत का हकदार होंगें।



Sai Kalash Homes Pvt. Ltd.
Anmol Kumar
Director

Rema Nayal
6-10-17

Neja
6/10/17

यह कि उक्त बहुमंजली इमारत की समय अवधि नक्शा पास होने के बाद 3 साल 6 महीना के अंदर तय होगा और इसके अलावे 6 माह की अवधि ग्रेस की अवधि होगी। नफ़ा नुकसान को सोच-समझ कर कानूनी सलाहकारों से राय-मशविरा लेकर निम्नलिखित शर्तों पर तहरीर एकरार करते हैं।

1. यह कि दोनों पक्षों के बीच तय पाया गया परिशिष्ट-1 में वर्णित जमीन पर आवासीय बहुमंजली भवन निर्माण किया जाय।
2. यह कि द्वितीय पक्ष निर्माण हेतु संरचना का नक्शा वास्तुविद से स्वयं करायेगें और इसमें होने वाले खर्च का पूरा वहन करेंगे। साथ ही नक्शा को पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के स्वीकृति लेने में जो भी खर्च आयेगा उसे भी द्वितीय पक्ष ही वहन करेंगे।
3. यह कि द्वितीय पक्ष पटना नगर निगम द्वारा स्वीकृत नक्शे में किसी प्रकार विचलन नहीं करेंगे। अगर द्वितीय पक्ष इमारत बनाने में किसी तरह का विचलन करेंगे या कानूनी व्यवधान उत्पन्न होगा, उसकी पूरी जिम्मेवारी द्वितीय पक्ष पर होगी।
4. यह कि द्वितीय पक्ष वास्तुविद से प्रस्तावित नक्शा बनवा कर पटना नगर निगम से नक्शे की स्वीकृति मिलने के बाद तीन साल छः महीना के अन्दर नक्शे के अनुरूप भवन निर्माण का कार्य पूरा कर लेंगे। नक्शा पास करने में प्रथम पक्ष के द्वारा सभी कागजात उपलब्ध कराई जाएगी।

यदि किसी अप्रत्याशित कारण या प्राकृतिक विपदा के कारण भवन निर्माण का कार्य समय पर पूरा नहीं हो सका तो अतिरिक्त 6 (छः) माह का समय भवन निर्माण का कार्य पूरा करने के लिए दिया जायेगा।

Sai Kalash Homes Pvt. Ltd.
Aasmal Kumar
Director



Rama Sanyal
6/10/19

6/10/19

5. यह कि पक्षकारों के बीच यह निर्णय हुआ कि प्रथम पक्ष को उपरोक्त बहुमंजली इमारत की 45 प्रतिशत हिस्सा होगा और द्वितीय पक्ष (विकासकर्ता) का इमारत में 55 प्रतिशत होगा, जो सभी तथ्यों के साथ-साथ कॉमन जगहों पर भी लागू होगा।

6. यह कि दोनों पक्ष को उपरोक्त भवन में अपने-अपने मिले हुये हिस्से पर पूर्ण स्वामित्व होगा, दोनों पक्ष अपने-अपने हिस्से में मिले प्लैट की बिक्री कर सकते हैं या किराया लगा सकते हैं या स्वयं रख सकते हैं, इसमें किसी पक्ष को एतराज नहीं होगा।

7. यह कि द्वितीय पक्ष को निर्माण संबंधी कार्य के समय या किसी भी ग्राहक को ऋण लेने के समय वित्तीय संस्थान या बैंक को अनापत्ति पत्र चाहिए उस समय प्रथम पक्ष विकासकर्ता को मुहैया करेंगे जो भी रकम कर्ज के माध्यम से प्राप्त होगा रकम की जिम्मेवारी द्वितीय पक्ष ही लेंगे और किसी कारण बस उस कर्ज की अदायगी नहीं हो पायी तो उस स्थिति में विकासकर्ता के चल-अचल सम्पति से वसूल किया जायेगा।

8. यह कि द्वितीय पक्ष ने आश्वस्त किया कि भवन निर्माण नक्शा पटना नगर निगम से स्वीकृत होगा उसी के अनुरूप ही कार्य करेंगे और अपने-अपने हिस्से का विभाजन पटना नगर निगम द्वारा स्वीकृत निर्माण एरिया पर ही होगा।

9. यह कि प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को एक हक प्रदान किया है कि प्रस्तावित निर्माण की बनावट में तैयार कमी-वेशी सक्षम पदाधिकारी के निर्देशानुसार उपरोक्त सम्पति पर कर सकते हैं। वहाँ पर इससे सम्बन्धित अपने नाम का आवेदन मान्यता के लिए किसी भी कार्यालय में दे सकते हैं और अन्य जरूरत मंद कार्य सम्बन्धी कर सकते हैं अपने हस्ताक्षर से करें।



Sai Kalash Homes Pvt. Ltd.
Ammol Kumar
Director

Rama Jayal
6.10.14

2/10/17

11. यह कि प्रथम पक्ष ने यह आश्वासन दिया है कि परिशिष्ट-1 में वर्णित सम्पत्ति साफ सुथरी है, तथा हर प्रकार के स्वामित्व दोष एवं ऋणभार से मुक्त है वो बुक्स हकियत, वारदैन से पाक साफ है, वो इस जमीन पर किसी प्रकार का एकरारनामा किसी दूसरे पक्ष के साथ नहीं किया गया है। तथा किसी दूसरे पक्ष का हक नहीं है। अगर इसमें किसी प्रकार व्यवधान होगा तब प्रथम पक्ष अपने खर्च से इसका समाधान करेंगे, जिसमें द्वितीय पक्ष पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे, इस कारण भवन निर्माण में जो देरी होगी उतना समय और बढ़ा दिया जायेगा।

12. यह कि द्वितीय पक्ष समय सीमा के अन्दर भवन निर्माण कर प्रथम पक्ष को उनके हिस्से का फ्लैट सौंप देंगे। अगर समय के अन्दर भवन का निर्माण करके फ्लैट जमीन मालिक को नहीं सौंपते है तो उस स्थिति में 6 (छः) माह का समय ग्रेस के रूप में द्वितीय पक्ष विकास कर्ता को दिया जायेगा।

13. एग्जीमेंट के बाद विकास कर्ता अपना बोर्ड लगा सकता है, ऑफिस रख सकते है, गोदाम बना सकते है।

14. यह कि ताजा मापी के अनुसार जो जमीन प्राप्त होगा उसी जमीन पर भवन निर्माण होगा।

15. यह कि द्वितीय पक्ष भवन निर्माण के सम्बन्ध में सम्बन्धित कार्यालयों में किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ेगी उसके लिए अगर जरूरत हुआ तो प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को अपना मुख्तारनामा देंगे।

16. यह कि निर्धारित अवधि के अंदर विकासकर्ता (द्वितीय पक्ष) इस एकरारनामा सम्पत्ति पर विकास कार्य कर देंगे। यदि नहीं कर पाते है तो वैसी स्थिति में प्रथम पक्ष जमीन मालिक इस एकरारनामा सम्पत्ति को खूद करने का अधिकार होगा।




Sai Kalash Homes Pvt. Ltd.
Ammal Kumar
Director

Rema Jayal
6/10/17

6/10/17

17. निर्माण कार्य के दौरान फिनिशिंग निम्न प्रकार से होगा :-

- 1) भवन निर्माण में प्रयुक्त पक्का ईट का होगा।
- 2) आंतरिक - दीवाल प्लास्टर ऑफ पेरिस का कोटींग होगा।
- 3) रसोई घर एवं शौचालय का फर्श मार्बल वेरिफाइड टाइल्स होगा तथा दीवाल आवश्यकतानुसार ग्लेज टाइल्स चिपकाई जाएगी एवं किवेन प्लेटफार्म ग्रीन मार्बल का होगा।
- 4) बेड-रूम, ड्राईंग रूम का फर्श वेरिफाइड टाइल्स होगा।
- 5) सीढ़ी पैसेज का फर्श करप्पा या कोटा पत्थर का होगा।
- 6) दरवाजा का मेन फ्रेम लकड़ी और दरवाजा (शटर) प्लाई बोर्ड का होगा।
- 7) सभी खिड़की लकड़ी फ्रेम युक्त ग्लास होगा।
- 8) बाहर की सभी दीवारे वाटरप्रूफ रंगीन सिमेंट पेंट होगा।
- 9) विद्युत कार्य में प्रयुक्त समान अच्छे किस्म के होंगे यानी सभी आई.एस.आई के होंगे।
- 10) सेनेटरी तथा जल प्रवाह हेतु सभी पाईप और फिटींग I.S.I. (आई0एस0आई0) मानक के होंगे।
- 11) टेलीफोन तथा इन्टरकॉम की वायरिंग प्रत्येक फ्लैट में एक पोआइंट दी जाएगी।
- 12) प्रत्येक फ्लैट के मास्टर बाथरूम में गरम तथा ठंडा पानी के लिए पाईप की व्यवस्था रहेगी।
- 13) अपार्टमेन्ट बनाने के समय जो बिजली लगेगा वह कम्पनी यानी द्वितीय पक्ष के नाम से होगा साथ ही उसका बिल कम्पनी भुगतान करेगे।
- 14) लिफ्ट लगाने की व्यवस्था रहेगी।



Sai Kalash Homes Pvt. Ltd.
Arvind Kumar
Director

Rama Dayal
6/10/17

2/10/17

- 15) अपना बोरिंग किया जायगा।
- 16) अपार्टमेंट में बिजली की व्यवस्था की जायेगी।
- 17) जेनरेटर की व्यवस्था रहेगी।
- 18) भवन निर्माण के समय मजदूरों या अन्य किसी को कोई दुर्घटना होती या किसी प्रकार का व्यवधान है तो उसकी सारी जिम्मेवारी द्वितीय पक्ष की होगी।
- 19) बहुमंजली ईमारत का नाम "दयाल इन्क्लेव" होगा।

18. बिहार अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम, 2006 के तहत भवन का निर्माण कार्य पूरा होने के पश्चात् संबंधित अंशधारक यथा-विकासकर्ता/ प्रवर्तक तथा भू-स्वामी अपने हिस्से के पूर्ण स्वामी होंगे तथा उन्हें तथा उन्हें अपने अंश को अलग से बेचने (हस्तांतरित करने इजारा/ गिरवी) दान करने का/ बिक्रय पत्र करने का अधिकार प्राप्त होगा। यह विकास एकराखामा बिहार अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम 2006 के तहत ही तैयार किया गया गया है।

परिशिष्ट-1

सम्पूर्ण सम्पत्ति का विवरण :- मवाजी 7 कट्ठा (सात कट्ठा) यानि 21.875 डिसमिल, मौजा - जगजीवनपुर उर्फ जक्कनपुर, थाना - कोतवाली, हाल थाना - जक्कनपुर, सब वो सदर रजिस्ट्री ऑफिस वो जिला - पटना, जिसका थाना नं० 29 (उन्तीस), तौजी नं० 133 (एक सौ तेतीस), खाता नं० 20 (बीस), सर्वे प्लॉट नं० 30 (तीस) का अंश।

चौहद्दी

उत्तर :- 8 (आठ) फीट चौड़ा रास्ता
दक्षिण :- बाबु विशेश्वर दयाल
पूरब :- बालचन्द महतो वो सखनु महतो
पश्चिम :- मुख्य सड़क



Sai Kalash Homes Pvt. Ltd.
Arvind Kumar
Director

Rama Dayal
6.10.17

4/11/17

गवाहण का हस्ताक्षर

1. Madhumita Prasad
 W/o Rajajee
 New Jakkampur
 D.V.C Crossing
 P.S - Jakkampur - Patna - 1
 At present

प्रथम पक्ष का हस्ताक्षर

[Signature]
 6/10/17
 Rema Sayal
 6.10.17

2. 17E/260 CHB
 JODHPUR
 (RAJASTHAN)
 6.10.2017

द्वितीय पक्ष का हस्ताक्षर

Sai Kalash Homes Pvt. Ltd.

[Signature]
 Arvind Kumar
 Director

2. Ranjit Singh
 s/o Shree Pashupati Singh
 Plot no - 140A, Phase - I
 Ashiana Nagar
 Patna - 25

② *[Signature]*
 6/10/2017

टंकणकर्ता

[Signature]
 (मुब्ना कुमार)
 पटना समाहरणालय,
 पटना।

प्रारूपकर्ता

[Signature]
 सुनील प्रसाद
 लाइसेंस नं०-461103
 (सुनील प्रसाद)
 अधिवक्ता
 सिविल कोर्ट, पटना।

Sai Kalash Homes Pvt. Ltd.
[Signature]
 Arvind Kumar
 Director



[Signature]
 6/10/17

[Signature]
 6/10/17

Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. '05'. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act - Rs. 514200/-
Addl. Stamp duty paid under Municipal Act - Rs. 0/-

Amt. Paid By N.J Stamp Paper - Rs. 5000/-
Amt. paid through Bank Challan - Rs. 530700/-

Registration Fee

FEE PAID	A1	1000	C	0	H1b	0	K1a	0	Lii	0
	A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	Liii	0
	A9	0	DD	0	I	0	K1c	0	Mb	0
	A10	0	E	20000	J1	0	K2	0	Na	0
	B	0	H1a	0	J2	0	Li	0		
TOTAL- 21000										

LLR + Proc Fee


LLR	0
Proc.Fee	0
Total	0

Service Charge

	500
--	-----


Total amount paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - 21500

Date: 06/10/2017



Registering Officer
Patna

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Patna on Friday, 06th October 2017 by Raja Jee Late Thakur Dayal by profession Others. Status - Executant


Signature/L.T.I. of Presentant


Date: 06/10/2017


Registering Officer
Patna

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Madhumita Prasad' age '49' Sex 'F', 'Raja Jee', resident of '17-E-260 Chaupasani Housing Board, Jodhpur, Rajsathan'.), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Date : 06/10/2017



Registering Officer
Patna

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Patna in Book 1 Volume No. 219 on pages on 235 -249, for the year 2017 and stored in CD volume No. CD-34 year 2017 .The document no. is printed on the Front Page of the document.


Date : 06/10/2017



Sai Kalash Homes Pvt. Ltd.

Director

Registering Officer
Patna

Token No. : 11115 Year : 2017 S.No. : 10631 SCORE Ver.4.1 Deed No. : d No. : 9561



Sai Kalash Homes Pvt. Ltd.
Armoj Kumar
Director



Saj Kallash Homes Pvt. Ltd.
Kumar
Director